न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 209 सन् 2015

पंजीयन दिनांक 14.09.2015

1. दौलतराम पिता उत्तमीचंद जाति जाट मृतक के बजाय–
   1. लालसिंह पिता दौलतराम जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व चित्तौड़गढ
   2. लेहरीबाई पत्नि दौलतराम जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व चित्तौड़गढ
   3. निर्मला पुत्री दौलतराम जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व चित्तौड़गढ

–अपीलान्टगण

विरूद्व

1. विजयराम पिता रामलाल जाति जाट मृतक के बजाय–
   2. भारतसिंह गोदपुत्र विजयराम जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व चित्तौड़गढ
   3. कमालाल पिता रामलाल जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व चित्तौड़गढ
2. रामचन्द्र पिता टेकचन्द जाति जाट मृतक के बजाय–
   1. अम्बालाल पिता रामचन्द्र जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व चित्तौड़गढ
   2. बिलासीराम पिता रामचन्द्र जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व चित्तौड़गढ
   3. मनोहरसिंह पिता रामचन्द्र जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व चित्तौड़गढ
   4. कंवरलाल पिता रामचन्द्र जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व चित्तौड़गढ
   5. कमला पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व चित्तौड़गढ
   6. गीता पुत्री रामचन्द्र पत्नि मोहनलाल जाति जाट निवासी चिकसी तहसील व चित्तौड़गढ
4. मु. झमकु पत्नि भेरूलाल जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व चित्तौड़गढ
5. ईश्वर सिंह पिता भेरूलाल जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व चित्तौड़गढ
6. अल्ट्राटेक सीमेन्ट युनिट आदित्य सीमेन्ट वर्क्स सावा,शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
7. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 224/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2015

उपस्थित– 1. दिनेश चन्द दायमा – अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. छोगालाल जाट –रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2
3. संजय मौड – रेस्पोडेन्ट सं. 4
4. रेस्पोडेन्ट सं.3/1 से 3/6 व रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 बावजूद सूचना अनु0
5. पूरणमल स्वर्णकार –राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 7

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 13.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने प्रतिवादीगण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 7 के विरूद्ध अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा फलासिया तहसील चित्तौड़गढ़ मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 के संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 32, 44/1, 57, 59, 64, 90, 96, 108, 150, 151, 152, 248, 249/19 कुल किता 14 रकबा 48 बीघा 18 बिस्वा सम्वत् 2029 की जमाबन्दी मे संयुक्त खातेदारी मे दर्ज थी। ग्राम अरनिया पंथ मे साबिक आराजी नम्बर 299 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा अवस्थित रही। ग्राम फलासिया व अरनिया पंथ मे स्थित उपरोक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 के मूल पुरूष रामलाल,रामचन्द व दौलतराम ने कृषि भूमि का पांती बंटवाडा दिनांक 16.12.1979 को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के यहां आपसी सहमति से मौजा फलासिया की कृषि आराजीयात का विभाजन किया। मौजा अरनिया पंथ की आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पिता रामलाल के आपसी बंटवाडे मे रखी। ग्राम फलासिया की आराजीयात मे रामलाल पिता चेनराम के हिस्से मे 12 बीघा 4 बिस्वा रामचन्द पिता टेकचन्द के हिस्से मे 18 बीघा 7 बिस्वा व अपीलान्ट प्रतिवादी दौलतराम के हिस्से मे मौजा फलासिया की आराजीयात 18 बीघा 7 बिस्वा आपसी बंटवाडे से हिस्से मे रखी गई। रेस्पोडेन्ट वादीगण के पिता रामलाल के हिस्से मे मौजा फलासिया मे बंटवाडे से कम कृषि भूमि आने से मौजा अरनिया पंथ की साबिक आराजी नम्बर 299 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा जो रामलाल रामचन्द व दौलतराम पिता चेनराम के संयुक्त खातेदारी की थी। आपसी बंटवाडे से रामलाल के हिस्से मे रखी गई। फलासिया का पटवार हल्का जालमपुरा का था जिसका विभाजन किया गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने अपना हिस्सा रिलीज कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण के पक्ष मे छोडना तय किया। इस दरम्यान भू-प्रबन्ध की कार्यवाही चालु हो जाने से पांती बंटवाडे का बंटवाडानामा अनुसार फलासिया की भूमि का नामान्तकरण भी आपसी बंटवाडे के अनुसार खुल गया। अरनिया पंथ की कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 के नाम दर्ज रह गई जबकि मौजा अरनिया पंथ की साबिक आराजी नम्बर 299 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 961 रकबा 0.78 हैक्टेयर आराजी नम्बर 962 रकबा 0.69 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 को कहा कि अरनिया पंथ की भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण के नाम करावे। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 टालमटुल करता रहा। प्रतिवादी सं. 2 रेस्पोन्ट सं. 3 ने अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण के पक्ष मे हकत्याग कर दिया। जिसका नामान्तकरण सं. 481 दिनांक 20.10.2002 रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 के नाम स्वीकृत हो गया। मौजा अरनिया पंथ की नवीन आराजी नम्बर 961, 962 किता 2 रकबा 1.47 हैक्टेयर पर मौखिक बंटवाडे के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 जो रामलाल के उत्तराधिकारी होकर काबिज है। फलासिया की आराजीयात पर बंटवाडे के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण की अरनिया पंथ की आराजी नम्बर 961, 962 मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 दखलदांजी नही करे। इस हेतु घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण की ओर से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 7 के विरुद्ध प्रस्तुत किया।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण की ओर से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 7 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। दिनांक 22.08.2012 को रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 की ओर से अधिकार पत्र पेश हुआ। जवाबदावा हेतु अवसर चाहा गया। रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से अधिवक्ता ने अधिकार पत्र पेश किया व अपनी ओर से जवाबदावा पेश किया गया। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से भी जवाबदावा व काउन्टर क्लेम पेश किया गया जिसमे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने वादपत्र मे वर्णित कलम सं. 1,2 व 3 को स्वीकार किया। वादपत्र की कलम सं. 4 को अस्वीकार किया। यह तथ्य अंकित किये कि मौजा फलासिया की कृषि आराजीयात का बंटवाडा होकर पक्षकारान की अलग-अलग खातेदारी व कब्जे काश्त मे है। अरनिया पंथ की जमीन शामलाती रखी गई जिसका कोई बंटवाडा नही हुआ है। जवाबदावे व काउन्टर क्लेम मे यह भी तथ्य अंकित किया कि अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्से पर कब्जा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पिता रामलाल का भी 1/3 पर कब्जा है। रामलाल का सम्पूर्ण आराजीयात पर कब्जा होने का तथ्य गलत अंकित किया गया है। यह भी निवेदन किया कि मौजा अरनिया पंथ की कृषि आराजीयात का आज दिनांक तक कोई बंटवाडा नही हुआ है। फलासिया की कृषि आराजीयात का बंटवाडा तहसीलदार के समक्ष आपसी सहमति हुआ है उसी अनुसार अलग-अलग खाते व कब्जे है। मौजा अरनिया पंथ आराजी नम्बर 961व 962 का रेस्पोडेन्टगण 1 व 2 वादी घोषणा कराने के अधिकारी नही है। जवाबदावे के साथ काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसमे मौजा अरनिया पंथ की आराजी नम्बर 961 व 962 कुल किता 2 रकबा 1.47 हैक्टेयर का पक्षकारान के मध्य हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा कराने का निवेदन किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम दिनांक 22.08.2012 का दिनांक 18.12.2012 को जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया व यह निवेदन किया कि मौजा अरनिया पंथ की आराजी नम्बर 961 व 962 कुल किता 2 रकबा 1.47 हैक्टेयर मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक व कब्जा नही है। पक्षकारो के मध्य दिनांक 16.12.1979 को बंटवाडा हो चुका है। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के बंटवाडे मे रही है। इसकी एवज मे फलासिया मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अधिक भूमि रखी है। एकबार विधिवत् बंटवाडा हो जाने के बाद अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 को पुनः बंटवाडा कराने का अधिकार नही है। उक्त आशय का जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्रावली मे प्रतिवादी सं. 5 व 6 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नही करने से जवाबदावा बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते तनकियात नियत की। उसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी के कानून व्यवस्था, चुनाव कार्य, अन्य कार्य मे व्यस्त रहने से तारीख पेशी तब्दील की गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पक्षकारान को त्वरित न्याय दिलाने की मंशा से उक्त पत्रावली मौजा अरनिया पंथ की होने से अटल सेवा केन्द्र मुकाम अरनिया पंथ पर दिनांक 14.07.2015 को लोक अदालत गठित की गई। उक्त प्रकरण भी पांतीबंटवाडे से घोषणा का होकर "न्याय आपके द्वार" मुकाम अरनिया पंथ पर नियत की गई जिसमे उभयपक्षकारान उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन कर उक्त आराजीयात जो 2 गांवो मे फलासिया व अरनिया पंथ मे अवस्थित होना व कुलिया रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा व मौजा फलासिया की कुल आराजीयात 48 बीघा 18 बिस्वा रही है जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण के पिता रामलाल को मौजा फलासिया की आराजीयात मे 12 बीघा 4 बिस्वा बंटवाडे से कृषि भूमि दी गई। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 को फलासिया की आराजीयात मे 18 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि व रेस्पोडेन्ट सं. 3 को 18 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि बंट्वाडे से दी गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पिता रामलाल को फलासिया की आराजीयात मे 12 बीघा 4 बिस्वा आपसी बंटवाडे से कृषि भूमि दी गई। अरनिया पंथ की आराजीयात जिसका कुलिया रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण को बंटवाडे मे देने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पिता रामलाल का 1/3 हिस्से अनुसार 18 बीघा 6 बिस्वा पुरा होता है, यह मानते हुए कि मौजा फलासिया की आराजीयात का बंटवाडा करते समय रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पिता रामलाल को आपसी बंटवाडे से अरनिया पंथ की आराजीयात उसके आपसी बंटवाडे मे होने से 6 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि मौखिक सहमति से कम रखी गई। बंट्वाडा होने के पश्चात् मौखिक सहमति को स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने अपना 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 जो रामलाल के उत्तराधिकारी है के पक्ष मे हकत्याग किया। जिसका नामान्तकरण सं. 481 दिनांक 20.10.2003 स्वीकृत हुआ है। जिसकी जमाबन्दी पत्रावली मे प्रस्तुत हुई है उसके आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर आराजी नम्बर 961 व 962 किता 2 रकबा 1.47 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 प्रतिवादी सं. 5 व 6 के हक व हिस्से व बंटवाडे की घोषित की। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्रमाणित नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट सं. 1,2 वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अन्य रेस्पोडेन्टण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण के वादपत्र मे अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नही हुआ था। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली दिनांक 18.09.2013 को तनकियात कायमी हेतु नियत की गई। दिनांक 18.09.2013 से दिनांक 01.04.2015 तक अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य व अन्य कार्य मे व्यस्त रहने से तारीख पेशी तब्दील होती रही। दिनांक 10.06.2015 को उक्त पत्रावली दिनांक 14.07.2015 के लिये राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम अरनिया पंथ के लिये नियत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक 14.07.2015 को अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 लोक अदालत मे उपस्थित नही हुए। न ही अपनी ओर से लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया। बिना किसी लिखित राजीनामे के अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत होते हुए बिना तनकियात कायम बिना साक्ष्य व सबूत के बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत मे गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने डिक्री किया है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अपील के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यु 2008 पार्ट-2 पेज 975 व आरआरटी 2019 पेज 828, आरटी 2018 पेज 317, आरआरडी 1990 पेज 548 प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण की ओर से पैतृक कृषि आराजीयात जो मूल पुरूष चेनराम जाट की रही है। चेनराम के स्वर्गवास हो जाने से विरासत से चेनराम के 3 पुत्र रामलाल,टेकचन्द व उत्तमीचन्द के नाम विरासत से दर्ज हुई है। रामलाल,चेनराम व उत्तमीचन्द ने अपने जीवनकाल मे ही दिनांक 16.12.1979 को आपसी सहमति से बंटवाडा कर लिया था। मौजा फलासिया, जालमपुरा पटवार हल्के मे रहा है। मौजा अरनिया पंथ, अरनिया पंथ पटवार हल्के मे रहा है। चेनराम के तीनो पुत्रो की दोनो गावो मे शामलाती कृषि आराजीयात रही है। मौजा फलासिया की आराजीयात का दिनांक 16.12.1979 को आपसी सहमति से बंटवाडा किया गया। उससे पूर्व ही समलाल,टेकचन्द के पुत्र रामचन्द्र व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने फलासिया व अरनिया पंथ की आराजीयात का पूर्व मे ही आपसी बंटवाडा कर रखा था। आपसी बंटवाडे से अरनिया पंथ की सम्पूर्ण आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण के पिता रामलाल के बंटवाडे से कब्जे मे चली आ रही थी। इसके एवज मे मौजा फलासिया की आराजीयात मे से रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने कम हिस्सा ले रखा था। मौजा फलासिया की आराजीयात का बंटवाडा किया गया उस समय भी आपसी बंटवाडे व कब्जे को मध्यनजर रखते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पिता रामलाल को 12 बीघा 4 बिस्वा भूमि ही बंटवाडे मे दी गई। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 3 को मौजा फलासिया की आराजीयात मे 18 बीघा 7 बिस्वा, 18 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि दी गई। इसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने आपसी सहमति से हुए विभाजन को स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने मौजा अरनिया पंथ की आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण के पिता रामलाल के बंटवाडे की होना स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 जो रामलाल के उत्तराधिकारी है के पक्ष मे अपना 1/3 हिस्सा हक त्याग कर दिया। आपसी बंटवाडा हो जाने के पश्चात् आपसी बंटवाडे से मुकरकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने अपना हक व हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 के नाम नही कराने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे आपसी पांती बंटवाडे से मौजा अरनिया पंथ की नवीन आराजी नम्बर 961 व 962 जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण का अपने पिता के जीवनकाल से कब्जा चला आ रहा है। मौजा फलासिया व मौजा अरनिया पंथ की कृषि आराजीयात को सम्मिलित कर कुलिया रकबा 55 बीघा भूमि मे से 1/3 हक व हिस्से के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 का बंटवाडे से हक व हिस्सा 18 बीघा 6 बिस्वा बनता है व 12 बीघा 6 बिस्वा भूमि सहमति से हुए बंटवाडे के अनुसार मौजा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

फलासिया मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 को मिली है जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 के संयुक्त खाते मे दर्ज है। मौजा अरनिया पंथ की आराजीयात मौजा फलासिया की आराजीयात के सम्बन्ध मे किये गये आपसी बंटवाडे मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 जो मूल पुरुष रामलाल के उत्तराधिकारी है। मौजा अरनिया पंथ की आराजीयात बंटवाडे से रामलाल के वारिसान रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। मौजा फलासिया व मौजा अरनिया पंथ की आराजीयात के सम्बन्ध मे नकल जमाबन्दी, नकल नामान्तकरण, नकल बंटवाडानामा व मौजा फलासिया की आराजीयात बंटवाडे से सभी पक्षकारान के नाम दर्ज रेकार्ड है के सभी दस्तावेज अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये। जिनका अवलोकन किया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने मौजा अरनिया पंथ की आराजीयात मृतक रामलाल के बंटवाडे की होना मानते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 को स्वर्गीय रामलाल के वैधानिक वारिस होने से व उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 रामलाल के वारिसान का आपसी बंटवाडे से कब्जा होना मानते हुए वादपत्र डिक्री किया है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने क्रोस अपील प्रस्तुत की है, जो निरस्ती योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) 2016

रेस्पोडेन्ट सं. 4 ने अपनी ओर से अपील के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 21.01.2016 को क्रोस अपील प्रस्तुत की व क्रोस अपील मे यह निवेदन किया गया कि दौलतराम द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जावे व वादग्रस्त कृषि आराजीयात मे भाई बंटवाडे से 1/3 हक आया उसी अनुसार कब्जा है। 1/3 हक व हिस्से मे रेस्पोडेन्ट सं. 4 व रेस्पोडेन्ट सं. 5 के नाम दर्ज किया जावे।

रेस्पोडेन्ट सं. 7 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2015 को विधिनुसार होना बताते हुए व मौजा फलासिया की आराजीयात का आपसी सहमति से बंटवाडा नामा स्वीकृति किया गया जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि, अरनिया पंथ की आराजीयात पर भाई बंटवाडे से अपना कब्जा होने से कम रखी गई है जिसकी पूर्ति अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने वादपत्र डिक्री कर की है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील गलत कथनो के आधार पर होने से अस्वीकार की जावे।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचरण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 व रेस्पोडेन्ट 2 से 7 के विरूद्ध मौजा अरनिया पंथ तहसील चित्तौड़गढ़ की साबिक आराजी नम्बर 299 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 961 रकबा 0.78 हैक्टेयर आराजी नम्बर 962 रकबा 0.69 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 7 के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 7 व अपीलान्ट प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 5 व 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं. 2 व रेस्पोडेन्ट सं.

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

की ओर से भी सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 1 अपीलान्ट की ओर से भी जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम बाबत् हक व हिस्से के अनुसार मौजा अरनिया पंथ की आराजीयात का बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण की ओर से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया व यह निवेदन किया गया कि अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने गलत तथ्यो के आधार पर काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। मूल पुरूष चेनराम व उनके 3 पुत्र रामलाल,टेकचन्द उत्तमीचन्द के संयुक्त खातेदारी मे मौजा फलासिया मे 48 बीघा 18 बिस्वा व मौजा अरनिया पंथ मे 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि संयुक्त खातेदारी मे चली आ रही है। सहखातेदार रामलाल,टेकचन्द व उत्तमीचन्द ने दोनो गांवो की आराजीयात का मौखिक बंटवाडा कर लिया था। मौखिक बंटवाडे से टेकचन्द व उत्तमीचन्द ने फलासिया की कुलिया आराजीयात मे से 18 बीघा 7 बिस्वा, 18 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि अपने बंटवाडे मे रखी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पिता रामलाल को मौजा फलासिया की आराजीयात मे 12 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि व मौजा अरनिया पंथ मे संयुक्त खातेदारी मे दर्ज आराजीयात 6 बीघा 2 बिस्वा कुलिया 18 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि बंटवाडे मे दी। मोजा फलासिया व मौजा अरनिया पंथ अलग-अलग पटवार हल्के मे होने से मौजा फलासिया की आराजीयात का बंटवाडा होकर राजस्व रेकार्ड अलग-अलग दर्ज हो गया। मौजा अरनिया पंथ की आराजीयात पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। खातेदार रामलाल पिता चेनराम, रामचन्द पिता टेकचन्द अपीलान्ट दौलतराम पिता उत्तमीचन्द के मध्य आपसी सहमति से बंटवाडानामा दिनांक 16.12.1979 को हुआ जिसकी प्रमाणित प्रति अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत की गई। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मौजा फलासिया की कृषि आराजीयात वर्तमान मे अपीलान्ट दौलतराम के खाते मे 3.31 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है जबकि मौजा फलासिया मे बंटवाडे से रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 के संयुक्त खातेदारी मे 2.98 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। रेस्पोडेन्ट सं. 3 के मौजा फलासिया मे 4.13 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है। अपीलान्ट की माता सेनी बेवा उत्तमीचन्द के खाते मे 0.62 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति मे मौजा फलासिया की आराजीयात मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पिता रामलाल के मध्य हुए बंटवाडे मे 6 बीघा 2 बिस्वा व रेस्पोडेन्ट सं. 3 को भी 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि आपसी बंटवाडे से अधिक दी गई है। इसकी एवज मे तीनो खातेदारान के नाम मौजा अरनिया पंथ की आराजी नम्बर 961 व 962 रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 जो रामलाल के उत्तराधिकारी है को आपसी बंटवाडे से दी गई, जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने आपसी सहमति से हुए बंटवाडा दिनांक 16.12.1979 से सहमत होकर मौजा अरनिया पंथ की आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 का बंटवाडे से कब्जा मानते हुए अपना 1/3 हक व हिस्सा हक त्याग कर नामान्तकरण स्वीकृत करवा दिया है। रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने वादपत्र के पूर्व ही अपना 1/3 हिस्सा जो अपने नाम पर दर्ज था। वादपत्र प्रस्तुति के पूर्व ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 के पक्ष मे परित्याग कर दिया था। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने दिनांक 22.08.2022 को जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसमे वादपत्र मे सभी तथ्य स्वीकार किये। जवाबदावे की कलम सं. 8 मे यह निवेदन किया कि वादीगण द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है वह सही है। उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 की खातेदारी की घोषित की जावे। इससे यह प्रमाणित होता है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मौजा फलासिया की आराजीयात का बंटवाडा किया गया जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 जो रामलाल के उत्तराधिकारी है। रामलाल को अरनिया पंथ की सम्पूर्ण आराजीयात आपसी बंटवाडे मे देते हुए मौजा फलासिया की आराजीयात मे आपसी बंटवाडे से 6 बीघा 2 बिस्वा रकबा कम दिया गया व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 3 को 18 बीघा 7 बिस्वा, 18 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि आपसी बंटवाडे मे दी जाकर तीनो के मध्य बराबर बंटवाडा किया गया। उसी अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने अरनिया पंथ की आराजीयात मे जो अपना हक व हिस्सा अंकित रहा था जिससे जरिये हकत्याग विलेख रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 के पक्ष मे हक त्याग किया है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 का मौजा अरनिया पंथ की आराजीयात मे जो नाम दर्ज है उसे आपसी बंटवाडे से रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण हटवाये जाने के अधिकारी थे। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 के पक्ष मे वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को साबित होना नही मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित एंव विधिसम्मत होने व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रतिवादी सं.1 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 224/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2015 यथावत रखाये जाने का आदेश पारित किया जाता है। निर्णय अनुसार निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 209/2015/डिक्री

(1) श्री दौलतराम पिता उत्तमीचंद जाति जाट मृतक के बजाय – (i) लालसिंह पिता दौलतराम जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (ii) लहरी बाई पत्नि दौलतराम जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (iii) निर्मला पुत्री दौलतराम जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ -अपीलान्ट	बनाम
	(1) श्री विजयराम पिता रामलाल जाट मृतक के बजाय – (i) भारतसिंह औरसपुत्र विजयराम जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (2) नन्दलाल पिता रामलाल जाति जाट निवासी फलासिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (3) रामचन्द्र पिता टेकचन्द जाति जाट मृतक के बजाय – (i) अम्बालाल पिता रामचन्द्र जाट निवासी फलासिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ -रेस्पोंडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ दि. 14-7-2015 प्रकरण सं. 224/2012 अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ. 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 13-06-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री हीरालाल जाट रेस्पोंडेन्ट सं. 1 व 2 विजय गौड़ रेस्पो.सं. 4 व रेस्पो. सं. 5 व 6 अनु० रेस्पो. सं. 3/ह. 3/1, प्रत्यर्थी स्व० जाट राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 7 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि –

"अपील अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 224/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 14-7-2015 यथावत रखाये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ......—...... रुपये हैं, ...—...... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ......—...... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 13-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 13-06-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	22-4	4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	22-4
योग		योग	

P.T.O.

(2)

(ii) किलाहीराम पिता रामचन्द्र जाति जाट निवासी कलासिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

(iii) मनोहरसिंह पिता रामचन्द्र जाति जाट निवासी कलासिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

(iv) कंवरलाल पिता रामचन्द्र जाति जाट निवासी कलासिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

(v) कमला पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी कलासिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

(vi) सीता पुत्री रामचन्द्र पत्नि मोहनलाल जाति जाट निवासी चिकसी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

(4) मु. झमकु पत्नि भेरूलाल जाति जाट निवासी कलासिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

(5) ईश्वरसिंह पिता भेरूलाल जाति जाट निवासी कलासिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

(6) अल्ट्राटेक सीमेन्ट युनिट आदित्य सीमेन्ट वर्क्स थाना शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

(7) भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)